

फर्द अहकाम

उपखण्ड मन्दिरी जयपुर जिलापत्र

केलाशी बनाम तेजराज

क्रमांक/वर्ष

90/2022

क्रमांक अथवा
संख्या

अथवा विस्तृत क्रमांक

दिनांक

15/5/23

पत्तावली पेश हुई। वकील वादी उप. / लवाब सरकार प्राप्त हुआ शामिल पत्तावली किया गया जिल पर एवं प्रस्तुत राजीनामे पर वकील वादी की सुनी गई। वाले आदेश पत्तावली दिनांक 29/5/23 को पेश है।

इसका
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, वाकसू (जयपुर)

29/5/23

पत्तावली पेश हुई। वकील वादी उप. है। पत्तावली में प्रस्तुत राजीनामा व लवाब सरकार का अवलोकन किया गया तो लवा वादी को ज्ञापन पत्र द्वारा की विरासत की दुरस्ती बाबत पेश किया गया है, लवाब लवाब सरकार अनुक्रमांक लमाषदी 2072-75 तक के अनुसार नामांतरण सं. 269 के द्वारा विरासत के नामांतरण प्राप्त पत्र द्वारा के समस्त वारिसान पयाना देवी पति प्रताप, रामनारायण, तेजराज, विश्वलाल उर्फ कृष्ण कुमार पिता प्रताप केलाशी, सम्पत्ति देवी, मनराज, कमल, मन्सूर के नाम नवीन कंठ दर्ज हो जाने के कारण कंठ पुनः उक्त पत्तावली में चाही गई शिलीफ र्व में प्राप्त हो जाने के कारण अब उक्त पत्तावली में कोई कार्यवाही किया जाना शेष नहीं होने के कारण लवा वादी खारिज किया जा रहा है। पत्तावली वाद तकनीक शामिल दफ्तर है।

इसका
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, वाकसू (जयपुर)